(262)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0 एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1573—एक/2012 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 22—03—2012 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 754/अपील/2010—11.

1— बैजनाथ तनय साधुराम ब्राहम्ण
2— राम प्रताप तनय साधुराम ब्राहम्ण
निवासीगण ग्राम डिठोरा तहसील
रामपुर नैकिन जिला सीधी म0प्र0

—— आवेदकगण

विरूद्ध

1—कल्ली पुत्री जगदीश प्रसाद ब्राहम्ण
2—मु0 बैसनी बेवा जगदीश प्रसाद
3—शिवबालक तनय जगदीश प्रसाद
4— शिवबहोर तनय जगदीश प्रसाद
5— बालेन्द्र तनय जगदीश प्रसाद
निवासीगण ग्राम डिठोरा तहसील
रामपुर नैकिन जिला सीधी म0प्र0
6—नागेन्द्र तनय जगदीश प्रसाद ब्राहम्ण
7— तारा प्रसाद पाण्डेय तनय बैजनाथ पाण्डेय
8— मानिन्द्र प्रसाद तनय तारा प्रसाद ब्राहम्ण
9— मुनेन्द्र प्रसाद तनय तारा प्रसाद ब्राहम्ण
सभी निवासी ग्राम केमहाई (कोष्टा) तहसील चुरहट
जिला सीधी म0 प्र0

—— अनावेदकगण

.....

श्री रामनरेश मिश्रा, अभिभाषक, आवेदक
श्री इन्द्रेश चतुर्वेदी, अभिभाषक, अनावेदक क0—1,3,4,6
श्री अमिताव चतुर्वेदी, अभिभाषक, अनावेदक क0 2
शेष अनावेदकगण 5,7,8,9 सूचना उपरांत अनुपस्थित

.....

आदेश

(आज दिनांक 30/8/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–03–2012 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2– प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि आवेदकगणों के द्वारा प्रश्नगत आदेश में वर्णित भूमियों का ग्राम पंचायत डिठौरा से नामांतरण पंजी कमांक 11 में दिनांक 15.8.04 को बटवारा करवा लिया था उनके द्वारा कराये गये इस अनुचित बंटवारा आदेश दिनांक 15.8.04 के विरूद्व अनावेदकगणों द्वारा उपखण्ड अधिकारी चुरहट के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई जो प्रकरण कमांक 139/अपील 2004–05 के रूप में पंजीकृत होकर दिनांक 13.1.06 को न्यायालय तहसीलदार रामपुर नैकिन के लिये प्रत्यावर्तित हुई और तहसीलदार द्वारा उभयपक्ष को सम्यक सुनवाई का अवसर उपलब्ध कराते हुये दिनांक 13.5.10 को संहिता की धारा 178/110 के अन्तर्गत एक वैध आदेश पारित किया गयां राजस्व प्रकरण कमांक 62/अ–6/2008–09 में पारित आदेश दिनांक 13.5.10 के विरूद्व आवेदकगणों द्वारा अनुविभागीय अधिकारी चुरहट के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जो उनके द्वारा दिनांक 28.1.11 द्वारा प्रकरण स्वीकार कर प्रत्यावर्तित किया जिससे व्यथित होकर अपर आयुक्त रीवा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जो उनके द्वारा दिनांक 22.3.12 को अपील स्वीकार की जिससे से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– आवेदकगण के अधिवक्ता का तर्क है कि प्रकरण कमांक 67/अपील/2010–11 निर्णय दिनांक 28.1.2011 का अन्तिम आदेश मानते हुये जो निष्कर्ष अपर आयुक्त महोदय द्वारा निकाला गया है वह गैर कानूनी है जबकि प्रकरण कमांक 67/अपील/2010–11 अनुविभागीय अधिकारी रामपुर नैकिन का निर्णय प्रत्यावर्तित कर समुचित कार्यवाही हेतु विचारण न्यायालय को भेजा गया था जो प्रत्यावर्तित आदेश अन्तरिम स्वरूप का था वह धारा 46 (घ) की श्रेणी में आता है और ऐसे रिमाण्ड आदेश की अपील नहीं हो सकती बल्कि निगरानी योग्य मामला था जो निगरानी श्रवण करने की अधिकारिता अपर आयुक्त को नहीं थी इसलिये उनका आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा तर्क में आगे कहा गया है कि अपर आयुक्त रीवा द्वारा सम्मन अनुचित मानने में भूल की है जबकि धारा 42 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता के तहत सम्मन तामील को निगरानी का आधार नहीं माना जा सकता बल्कि

न्यायालय के समुचित कार्यवाही हेतु रिमाण्ड कराना चाहिये था जिस अनुसार सुनवाई का पूरा अवसर प्रदान होता जैसा कि अनुविभागीय अधिकारी रामपुर नैकिन ने मानकर प्रकरण रिमाण्ड किया था, जिससे भी अपर आयुक्त का आदेश गैर कानूनी था और ग्राम पंचायत की नामांतरण की कार्यवाही गैरकानूनी व निरस्त योग्य था जिस पर अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। तर्क में यह भी कहा गया है कि खाता विभाजन की कार्यवाही भी स्वत्व विषयक कोई जबाव देकर अनावेदकगणों द्वारा व आपत्ति नहीं की गई और अनावेदक कमांक 4, 5, 6 व उत्तववादी कमांक 3, 5 की सम्मन की तामील विधिवत जानकारी सम्मन की थी विधि सम्मत तरीके से तामीली हुई थी जिससे नियमों विधि के विपरीत अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अंत में उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि आवेदकगण की निगरानी स्वीकार कर अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा का आदेश दिनांक 22.3.12 निरस्त करने का अनुरोध कियां गया है।

4– अनावेदक कमांक–2 के अधिवक्ता का तर्क है आवेदकगणों ने प्रश्नगत आदेश मे वर्णित भूमियों का ग्राम पंचायत डिठौरा से नामांतरण पंजी कमांक 11 में दिनांक 15.8.04 को बटवारा करवा लिया था उनके द्वारा कराये गये इस अनुचित बटवारा आदेश दिनांक 15.8.04 के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की और उनके द्वारा विचारण न्यायालय में प्रकरण प्रत्यावर्तित हुई और तहसील न्यायालय द्वारा उभयपक्षों को सम्यक सुनवाई का अवसर उपलब्ध कराते हुये दिनांक 13.5.10 को संहिता की धारा 178/110 के अन्तर्गत एक वैध आदेश पारित किया गया। उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि निराकृत प्रकरण प्रश्नगत आदेश के बीच एक मूल्यवान स्वीकृत तथ्य यह है कि प्रश्नगत आदेश में वर्णित सभी भूमियों में 1/3 के अनुपात में अनावेदक का एवं स्व0 कतहरी का हित है और 1/3 के अनुपात में आवेदकगण कमांक–1 का तथा 1/3 के अनुपात में आवेदक कमांक–2 का हित है। अंत में उनके द्वारा कहा गया है कि आवेदक की निगरानी अनुचित होने से निरस्त की जावे, तथा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा का आदेश दिनांक 22.3.12 विधि अनुसार होने से स्थिर रखे जाने का अनुरोध कियागया है।

5– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न अभिलेख का अवलोकन किया गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा उन्हीं तथ्यों को दौहराया गया है जो उनके द्वारा अपनी

निगरानी मेमों में उल्लेख किया गया है। प्रकरण में संलग्न अभिलेखों का वारीकी से अध्ययन किया गया प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चुरहट ने दिनांक 15–10–2010 को यह आदेश दिये गये है कि शेष का सम्मन अदम तामील है । अतः उनके मकान में चस्पानगी तामील कराई जावे, उसके उपरांत दिनांक 29.10.10 पेशी नियत की गई है एवं पुनश्चः करके पीठासीन अधिकारी द्वांरा लिखा गया है कि उत्तरवादीगण कासही पता बतायें अथवा समाचार पत्र में प्रकाशन करायें एवं 12.11.10 को पता ज्ञात होने पर जरिये चस्पानगी के आदेश हुये एवं 26.11.10 की तारीख नियत की गई तथा नोटिस में लेने से इनकार लिखा गया । पीठासीन अधिकारी द्वारा तामीली प्रकिया का पालन सही ढंग से नहीं किया गया। तामीली हेतु 15 दिवस का समय भी नहीं दिया गजया जिससे चस्पानगी की प्रकिया त्रुटिपूर्ण है।

6– उपरोक्त विवचना के आधार पर उपखण्ड अधिकारी चुरहट का आदेश त्रुटिपूर्ण होने से अपर आयुक्त रीवा द्वारा उनका आदेश दिनांक 28.1.2011 निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। अतः न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 754/अपील/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 22–3–2012 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। परिणामस्वरूप आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन एवं महत्व हीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर